रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032025-262105
CG-DL-E-30032025-262105

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98] नई दिल्ली, शुक्रवार , मार्च 28, 2025/ चैत्र 7, 1947
No. 98] NEW DELHI, FRIDAY , MARCH 28, 2025/ CHAITRA 7, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2025

मामला सं. एडी (ओआई) – 01/2025

विषय: चीन जन. गण. और वियतनाम में उत्पन्न या वहां से निर्यातित "इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न" के आयातों के संबंध में पाटन रोधी जांच की शुरुआत।

1. **फा. सं. 6/01/2025–डीजीटीआर:** समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियम' भी कहा गया है) के अनुसार, मेसर्स इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'याचिकाकर्ता' अथवा 'आवेदक' भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद 'प्राधिकारी' भी कहा गया है) के समक्ष

चीन जन. गण. और वियतनाम (जिन्हें इसके बाद "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के और वहां से निर्यात किए गए **"इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न"** (जिसे इसके बाद **'विचाराधीन उत्पाद'** अथवा **'संबद्ध वस्तु'** अथवा **'पीयूसी'** कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटन रोधी जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं के डंप किए गए आयात से क्षति हो रही है और उसने विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद इस प्रकार है :

निम्नलिखित को छोड़कर सभी डेनियर का इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न :

क. काले रंग को छोड़कर रंगीन इलास्टोमेरिक यार्न;
ख. बीम पर इलास्टोमेरिक यार्न;
ग. **"LYCRA®"** ब्रांड नाम वाली संबद्ध वस्तुएं
घ. डायपर के लिए इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न

4. **"LYCRA®"** ब्रांड नाम वाली संबद्ध वस्तुओं को बाहर रखने का प्रस्ताव है, क्योंकि यह प्रक्रिया नियंत्रण शर्तों के अंतर्गत निर्मित एक विशिष्ट और उत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हैं, जो पेटेंट संरक्षित हैं। यहां तक कि वाणिज्यिक रूप से भी, लाइक्रा की कीमत बाजार में उपलब्ध इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न के अन्य ब्रांडों की तुलना में बहुत अधिक है।

5. बाजार की भाषा में, इस उत्पाद को स्पैन्डेक्स अथवा इलास्टेन जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। इन्हें तकनीकी संदर्भ में खंडित पॉलीयूरेथेन के रूप में वर्णित किया जाता है जो "नरम" अथवा लचीले, खंडों से बने होते हैं जो "कठोर" अथवा अनम्य खंडों के साथ एक साथ बंधे होते हैं। यह फाइबर को इसमें अंतर्निहित, स्थायी लचक प्रदान करता है। यह एक इलास्टोमेरिक फाइबर है जिसका उपयोग व्यापक रूप से स्ट्रेच गारमेंट्स में लघु घटक के रूप में किया जाता है ताकि रिकवरी के साथ खिंचाव प्रदान किया जा सके।

6. स्पैन्डेक्स यार्न का उपयोग मुख्य रूप से ऐसे वस्त्रों को बनाने के लिए किया जाता है, जो बहुत ही आरामदायक और फिट हो। इस प्रकार, इनका उपयोग होजरी, स्विमसूट, एरोबिक या व्यायाम के वस्त्रों, स्की पैंट, गोल्फ जैकेट, डिस्पोजेबल डायपर, कमर बैंड, ब्रा स्ट्रैप और ब्रा साइड पैनल आदि के निर्माण में किया जाता है। वे ब्रा कप जैसे शेप वाले वस्त्रों को बनाने के लिए भी बेहतरीन हैं। स्पैन्डेक्स फैब्रिक का उपयोग कम्प्रेशन वस्त्र बनाने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि सर्जिकल नली, सपोर्ट नली, साइकिल पैंट, फाउंडेशन वस्त्र आदि। इलास्टोमेरिक यार्न को प्राय: अन्य फैब्रिक, जैसे कपास, नायलॉन और पॉलिएस्टर के साथ मिश्रित किया जाता है ताकि परिधान को अतिरिक्त स्तर का आरामदायक बनाया जा सके। निटवेअर के इलास्टिक गुण, अर्थात् खिंचाव और रिकवरी का आराम पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है, जिससे फ्लैक्सिबिलिटी और आने जाने में आसानी होती है। तैयार उत्पाद में इलास्टोमेरिक यार्न का केवल बहुत कम प्रतिशत उपयोग किया जाता है, जो इसके इच्छित उपयोग पर निर्भर करता है। सूती बुने हुए कपड़ों के लचकदार गुणों को बेहतर बनाने के लिए, सामान्य तौर पर इलास्टोमेरिक यार्न को कपड़े में डाला जाता है।

7. संबद्ध उत्पादों को अध्याय शीर्षक 54 "मानव निर्मित तंतु; मानव निर्मित वस्त्र सामग्री की स्ट्रिप और इसी तरह की अन्य वस्तुएँ" के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। 8-अंकीय स्तर पर वर्गीकरण 54024400 और 54041100 है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह किसी भी तरह से उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

8. वर्तमान जांच में शामिल पक्ष विचाराधीन उत्पाद और प्रस्तावित पी.सी.एन. (यदि कोई हो तो उसका औचित्य सहित) पर अपनी टिप्पणियां जांच शुरू होने की सूचना मिलने के 15 दिनों के भीतर उपलब्ध करा सकते हैं। बिना औचित्य के प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

क्र. सं.	प्रकार	मूल्य	पीसीएन कोड
1	Cone	C	C
2	Denier Range (Illustrations given)	having denier upto 15	C00000015
3		having denier from 15 to 25	C00150025
4		having denier from 25 to 35	C00250035
5		having denier from 35 to 45	C00350045
6		having denier from 45 to 55	C00450055
7		having denier from 55 to 65	C00550065
8		having denier from 65 to 75	C00650075
9		having denier from 75 to 85 etc.	C00750085

ख. समान वस्तु

9. आवेदक ने दावा किया है कि उसके द्वारा उत्पादित उत्पाद सभी भौतिक पहलुओं में तुलनीय हैं, जिसमें भौतिक और रासायनिक गुण, अनुप्रयोग और अंतिम उपयोग, मूल्य आदि शामिल हैं, जो कि संबंधित देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के साथ हैं। ग्राहक इन उत्पादों का परस्पर उपयोग करते हैं।

10. तदनुसार, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और विषयगत देशों से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात भौतिक अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और विषयगत देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तु तकनीकी और व्यावसायिक रूप से विषयगत देशों से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद के साथ प्रतिस्थापन योग्य है। इसलिए, वर्तमान जांच शुरू करने के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु को विषयगत देशों से आयात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

ग. घरेलू उद्योग और आधार

11. नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:-

> *"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।"*

12. यह आवेदन मेसर्स इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने यह प्रमाणित किया है कि उसने विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों से आयात नहीं किया है। इसके अलावा, वे भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी भी आयातक से संबंधित नहीं हैं।

13. आवेदक ने यह भी प्रस्तुत किया है कि उनके अलावा, भारत में विषयगत वस्तुओं का केवल एक अन्य उत्पादक है, जिसका नाम ह्योसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जो दोनों विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं के निर्यातकों से संबंधित है और विषयगत वस्तुओं का आयातक भी है। इसलिए, यह इस जांच के उद्देश्य के लिए नियम 2(ख)के अनुसार अपात्र उत्पादक हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी ने नियम 2(ख) के अर्थ में याचिकाकर्ता को घरेलू उद्योग माना है और आवेदन नियम 5(3) के अनुसार स्थिति के मानदंडों को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

14. वर्तमान जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन. गण. और वियतनाम हैं।

ङ. जांच की अवधि

15. आवेदक ने जांच की अवधि के रूप में 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 (12 माह) का प्रस्ताव रखा है। जांच की अवधि और विगत तीन वर्षों अर्थात 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 और जांच अवधि के लिए क्षति की सूचना प्रदान की गई है।

च. पाटन मार्जिन की गणना

I. चीन जन. गण के लिए सामान्य मूल्य

16. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए कि विषयगत वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। जब तक चीन जन.प्र. के उत्पादक यह नहीं दिखाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य नियमों के अनुलग्नक-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

17. आवेदक ने दावा किया है कि उसके पास उचित बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश में कीमतों या लागत या उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश से अन्य देशों को निर्यात की कीमत के संबंध में जानकारी तक पहुंच नहीं थी। तदनुसार, आवेदक ने चीन पीआर के लिए सामान्य मूल्य की गणना भारत में देय मूल्य के आधार पर, उत्पादन लागत और उचित लाभ के आधार पर की।

II. वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य

18. आवेदक ने दावा किया है कि उसके पास वियतनाम में उत्पादकों के उत्पादन की वास्तविक लागत के बारे में कोई जानकारी या घरेलू बिक्री मूल्य का कोई सबूत नहीं है। इस प्रकार, आवेदक ने अपने उत्पादन की लागत के आधार पर भारत में देय मूल्य के आधार पर एक सामान्य मूल्य की गणना की, जिसमें उचित लाभ भी शामिल था।

19. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने दोनों संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

III. निर्यात कीमत

20. प्राधिकारी ने निबल निर्यात कीमत (एनईपी) के निर्धारण के लिए संबद्ध वस्तुओं के सीआईएफ मूल्य पर विचार किया है। इसके बाद प्राधिकारी ने कारखाना-बाह्य कीमत निर्धारित करने के लिए इन कीमतों में आवश्यक समायोजन किया है।

IV. पाटन मार्जिन

21. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-बाह्य स्तर पर की गई है, जिससे *प्रथम दृष्टया* यह स्थापित होता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है और संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटन किया जा रहा है।

V. क्षति और कारणात्मक संबंध का आरोप

22. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि उसे वास्तविक क्षति हुई है तथा पाटित किए गए आयातों के परिणामस्वरूप आगे भी क्षति होने का खतरा है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के आयातों और आर्थिक मापदंडों से संबंधित सूचना से पता चलता है कि क्षति अवधि के दौरान आयातों में निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है तथा यह भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में महत्वपूर्ण है। परिणामस्वरूप, आवेदक को लाभ में गिरावट, नकद घाटा तथा अपनी नियोजित पूंजी पर कम प्रतिफल देखने को मिला है। विषय देशों से पाटित किए गए आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं, जो पाटन रोधी जांच की शुरूआत को उचित ठहराते हैं।

छ. <u>जांच की शुरुआत</u>

23. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत् प्रमाणित आवेदन के आधार पर तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत / प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करते हुए, जो घरेलू उद्योग को पाटन और उसके परिणामस्वरूप हुई क्षति को प्रमाणित करता है, प्राधिकारी अधिनियम की धारा 9 क के साथ पठित नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति की पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हैं, ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटन शुल्क की राशि की सिफारिश की जा सके, जो यदि लगाई जाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

ज. <u>सूचना की प्रस्तुति</u>

24. सभी पत्राचार निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल के माध्यम से consultant-dgtr@nic.in, dir14-dgtr@gov.in और dd18-dgtr@gov.in पर भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग सर्च करने योग्य पीडीएफ/ एमएस वर्ड प्रारूप में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस एक्सेल प्रारूप में हों।

25. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में अपने दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकार तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं से जुड़े हुए आयातकों और उपयोगकर्ताओं को, अलग से सूचित किया जा रहा है, ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर सभी संगत सूचना दाखिल कर सकें। ऐसी सभी सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से दाखिल की जानी चाहिए।

26. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संबंधित अनुरोध कर सकते हैं।

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकार को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

28. हितबद्ध पक्षकारों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें, ताकि वे जांच से संबंधित सूचना और आगे की प्रक्रियाओं से अवगत रह सकें।

झ. समय सीमा

29. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना नियम 6(4) के अनुसार सूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर consultant-dgtr@nic.in, dir14-dgtr@gov.in तथा dd18-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

30. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं तथा इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली के अपने उत्तर दाखिल करें।

31. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय चाहता है, तो उसे सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण दर्शाना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर किया जाना चाहिए।

ञ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

32. जहां वर्तमान जांच में कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतिकरण करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, वहां ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम **7** के अनुसार तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचना के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

33. ऐसे अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" के रूप में अंकन किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को बिना ऐसे अंकनों के किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना के रूप में माना जाएगा, और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।

34. गोपनीय पाठ में ऐसी सभी सूचना शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की है, और/ अथवा अन्य सूचना जिसे ऐसी सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना के लिए जिसके गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया जाता है, या जिस सूचना पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, सूचना के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई सूचना के साथ एक उचित कारण कथन प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

35. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः अनुक्रमित किया जाना चाहिए या रिक्त स्थान दिया जाना चाहिए (जहां अनुक्रमण संभव न हो) तथा ऐसी सूचना को उचित रूप से तथा पर्याप्त रूप से संक्षेपित किया जाना चाहिए, जो उस सूचना पर निर्भर करता है जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।

36. गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझने के लिए अगोपनीय सारांश में पर्याप्त विवरण नहीं होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना सारांशित करने योग्य नहीं है, और नियमावली 1995 के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण युक्त कारणों का विवरण तथा प्राधिकारी द्वारा जारी ऐसी उचित व्यापार सूचना, कि ऐसा सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।

37. हितबद्ध पक्षकारों, घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्राधिकरण को अगोपनीय संस्करण के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर ईमेल के माध्यम से दे सकते हैं, जिनका उल्लेख इस जांच शुरुआत अधिसूचना के पैराग्राफ 24 में किया गया है।

38. नियमावली के नियम 7 के अनुसार सार्थक अगोपनीय पाठ या पर्याप्त और समुचित कारण के विवरण के बिना तथा गोपनीयता के दावे पर प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

39. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित है या यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकता है।

40. प्राधिकारी, संतुष्ट होने तथा प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने के पश्चात, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्ष की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी भी पक्षकार को इसका खुलासा नहीं करेगा।

41. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने प्रस्तुतीकरण और अन्य सूचनाओं का अगोपनीय पाठ अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

ट. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

42. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोधों/ प्रतिक्रिया/ सूचना का गोपनीय पाठ सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। अनुरोध/ प्रतिक्रिया/ सूचना का गोपनीय पाठ प्रसारित न करने पर इस जांच आरंभ अधिसूचना की धारा ड के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

ठ. असहयोग

43. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या इस अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या बाद में अलग पत्राचार के माध्यम से प्रदान की गई समयावधि के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार करता है और अन्यथा सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, या जांच में महत्वपूर्ण बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जो वह उचित समझें।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi,the 28th March ,2025

Case No. AD(OI)-01/2025

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of "Elastomeric Filament Yarns" originating in or exported from China PR and Vietnam.

1. **F. No.6/01/2025-DGTR**: M/s Indorama India Private Limited (hereinafter also referred to as the "Petitioner" or "Applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Rules) for imposition of Anti-dumping duty on imports of "**Elastomeric Filament Yarns"** (hereinafter referred to as the subject goods or PUC) from China PR, and Vietnam (hereinafter referred to as the subject countries).

2. The Applicant has alleged that dumped imports of the subject goods from subject countries is causing injury and has requested the imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries.

A. <u>PRODUCT UNDER CONSIDERATION</u>

3. The product under consideration in the present application is

"Elastomeric Filament Yarn of all deniers excluding the following:

a. Coloured Elastomeric Yarn except Black;
b. Elastomeric yarns on Beam;
c. Subject goods having brand name as "LYCRA®"
d. Elastomeric Filament Yarn meant for diapers

4. According to the Applicant, the subject goods having brand name as "LYCRA®" are excluded as the same is a specialized and fine quality product manufactured under process control conditions, which are patent protected. Even commercially, the price of Lycra is much higher as compared to the other brands of elastomeric filament yarns available in the market.

5. In market parlance, the product is also known by various names, such as Spandex or Elastane. These are described in technical terms as segmented polyurethane composed of "soft", or flexible, segments bonded together with "hard", or rigid segments. This gives the fibre its built-in, lasting elasticity. It is an elastomeric fibre used widely as the minor component in stretch garments to provide stretch with recovery.

6. Spandex yarn is mainly used to make such garments that require great comfort and fit. As such, they find applications in manufacturing of hosiery, swimsuits, aerobic or exercise wear, ski pants, golf jackets, disposable diaper, waist bands, bra straps and bra side panels etc. They are even great for making shaped garments like bra cups. Spandex fabrics are also used to make compression garments, such as surgical hose, support hose, bicycle pants, foundation garments etc. Elastomeric Yarns are often blended with other fabrics, such as cotton, nylon and polyester to give a garment an additional level of comfort. Elastic properties of knitwear, namely stretch and recovery have a noticeable impact

on comfort, adding flexibility and freedom of movement. Only a very small percentage of elastomeric yarn is used in the finished product, depending on its intended use. To improve elastic properties of cotton knitted fabrics, usually elastomeric yarn is fed into the fabric.

7. The subject products are classified under Chapter Heading 54 "Man-made filaments; strips and the like of man-made textile materials". The classification at the 8-digit level is 54024400 and 54041100. It is also submitted that the customs classification is indicative only and in no way binding upon the product scope.

8. The Applicant has proposed the following PCNs in the present application The parties to the present investigation may provide their comments on the product under consideration and following propose PCNs (with justification), if any, within 15 days of receiving intimation of the initiation of the investigation. Submissions made without justification will not be considered by the Authority.

S. No.	Type	Value	PCN Code
1	Cone	C	C
2	Denier Range (Illustrations given)	having denier upto 15	C00000015
3		having denier from 15 to 25	C00150025
4		having denier from 25 to 35	C00250035
5		having denier from 35 to 45	C00350045
6		having denier from 45 to 55	C00450055
7		having denier from 55 to 65	C00550065
8		having denier from 65 to75	C00650075
9		having denier from 75 to 85 etc.	C00750085

B. LIKE ARTICLE

9. The applicant has claimed that the products produced by it are comparable in all material aspects, including the physical and chemical properties, applications and end uses, prices, etc. with the product under consideration imported from the subject countries. The customers use the products interchangeably.

10. Accordingly, it is noted that there are no known material differences in the article produced by the domestic industry and the product under consideration exported from the subject countries. The article produced by the domestic industry and the product under consideration imported from the subject countries are comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The article manufactured by the domestic industry are technically and commercially substitutable with the product under consideration imported from the subject countries. Therefore, for the purpose of initiation of the present investigation, the article produced by the domestic industry has been considered as "like article" to the product under consideration being imported from the subject countries.

C. DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

11. *Rule 2(b) defines domestic industry as follows:*

"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the "domestic industry" may be construed as referring the rest of the producers.

12. The application has been filed by M/s Indorama India Private Limited. The applicant has certified that it has not imported the product under consideration from the subject countries. Further, they are not related to any importer of the subject goods in India.

13. The applicant has also submitted that apart from them, there is only one other producer of the subject goods in India, namely Hyosung India Pvt. Ltd., who is related to exporters of the subject goods from both the subject countries and also importer of the subject goods. Therefore, it is ineligible producer in terms of Rule 2(b) for the purpose of this investigation. Thus, the Authority has considered the petitioner as Domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

D. SUBJECT COUNTRIES

14. The subject countries for the present investigation are China PR and Vietnam.

E. PERIOD OF INVESTIGATION

15. The applicant has proposed 1st October 2023 to 30th September 2024 (12 months) as the period of investigation (POI). The injury information has been provided for the period of investigation and three preceding years, that is, April 1, 2021, to March 31, 2022, April 1, 2022, to March 31, 2023, April 1, 2023, to March 31, 2024, and the POI.

F. DUMPING MARGIN COMPUTATION

I. Normal value for China PR

16. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the subject goods. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure-I to the Rules.

17. The applicant has claimed that it did not have access to information with regard to prices or cost in an appropriate market economy third country, or price of exports from an appropriate market economy country to other countries. Accordingly, the applicant calculated the normal value for China PR based on the price payable in India, based on its cost of production duly adjusted for selling, general, and administrative expenses with reasonable profits.

II. Normal Value for Vietnam

18. The applicant has claimed that it did not have access to any evidence of domestic selling price or information regarding actual cost of production of the producers in Vietnam. Thus, the applicant has calculated a normal value for Vietnam based on its cost of production duly adjusted for selling, general, and administrative expenses with reasonable profits.

19. For the purpose of the present initiation, the Authority has constructed the normal value for both of the subject countries.

III. Export Price

20. The Authority has considered the CIF price of the subject goods for the determination of net export price (NEP). The Authority has thereafter made the necessary adjustments to these prices to arrive at the ex-factory price.

IV. Dumping Margin

21. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin is above the de-minimis level and is significant with respect to the product under consideration from the subject countries. Thus, there is sufficient prima facie evidence that the product under consideration from the subject countries is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject countries.

V. Allegation of Injury and Causal Link

22. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has claimed that it has suffered material injury and there is a threat of further injury as a result of the dumped imports. The information concerning imports and economic parameters of the domestic industry over the injury period show that the imports have increased in absolute terms over the injury period and are significant in relation to the Indian production and consumption. As a result, the applicant has witnessed decline in profits, cash losses and a low return on its capital employed. There is sufficient prima facie evidence of injury being caused to the domestic industry by the dumped imports from the subject countries to justify the initiation of an anti-dumping investigation.

G. INITIATION OF THE INVESTIGATION

23. On the basis of the duly substantiated application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of / prima facie evidence submitted by the applicant substantiating the dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority hereby initiates an anti-dumping investigation into the alleged dumping and consequent material injury to the domestic industry in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree, and effect of alleged dumping and to recommend the amount of dumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

H. SUBMISSION OF INFORMATION

24. All communication should be sent to the Designated Authority via email at consultant-dgtr@nic.in, dir14-dgtr@gov.in and dd18-dgtr@gov.in . It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.

25. The known producers/exporters in the subject countries, the government of the subject countries through its embassies in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

26. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

27. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

28. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (https://www.dgtr.gov.in/) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

I. TIME LIMIT

29. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at consultant-dgtr@nic.in, dir14-dgtr@gov.in and dd18-dgtr@gov.in within 30 days from the date of the receipt of the notice as per the Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

30. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.

31. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

J. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

32. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7 of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.

33. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non- confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

34. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

35. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

36. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

37. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version to the Authority via email which are mentioned at paragraph 24 of this initiation notification.

38. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

39. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

40. The Authority, upon being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without the specific authorization of the party providing such information.

41. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions and other information to all other interested parties.

K. INSPECTION OF PUBLIC FILE

42. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other interested parties. Failure to circulate the non-confidential version of the submission/response/information might lead to action under Section M of this Initiation Notification.

L. NON-COOPERATION

43. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification or subsequently time period provided through separate communication, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

DARPAN JAIN, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.03.30 10:01:42 +05'30'